भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2812
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 को दिया जाना है

राज्य विधान परिषदों का सृजन

2812. श्री पिनाकी मिश्रा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य विधान सभाओं ने अपने-अपने राज्यों में विधान परिषदों के सृजन के लिए संकल्प पारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ओडिशा विधान सभा ने भी विधान परिषद के निर्माण के लिए एक सर्वसम्मत संकल्प पारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या केंद्र सरकार का संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत ऐसी परिषद बनाने का प्रस्ताव है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और प्रस्तावित समय-सीमा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (च) : जी हां । हाल ही में विभिन्न राज्यों अर्थात् ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान और असम विधान सभाओं ने अपने-अपने राज्यों में विधान परिषद के सृजन के लिए संकल्प अंगीकृत किए हैं । उक्त प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से परीक्षण के अधीन हैं, अतः इस विषय में कोई निश्चित समय सीमा प्रदान नहीं की जा सकती ।

****